न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 128/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. दयालराम उर्फ दयाल नेहरा पुत्र मूलाराम उर्फ मूलचन्द जाति जाट निवासी नेहरां की ढाणी (रोयल) तन खण्डेला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी/वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार/भूमिधारक जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–अप्रार्थी/प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड संशोधन

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्र सिंह रणवां वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक – 13.12.2019**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1321 रकबा 1.67 है0, ख0नं0 1322 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 1323 रकबा 4.60 है0, ख0नं0 1324 रकबा 0.80 है0 किता 4 कुल रकबा 7.36 हैक्टेयर वाके ग्राम अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/7 कब्जेकाश्त व खातेदारीशुदा है। उक्त भूमियों में वादी का नाम दयाल नेहरा पुत्र मूलचन्द दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम दयाल व दयालराम के नाम सें जाना जाता है। वादी के अन्य सभी दस्तावेजों यथा परिवार राशनकार्ड, आधारकार्ड, पैनकार्ड आदि में वादी का नाम दयालराम पुत्र मूलाराम दर्ज है। वादी का गौत्र नेहरा है जिसकी वजह से राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम के आगे दयाल नेहरा दर्ज हो गया है एवं वादी के पिता का नाम मूलाराम है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मूलचन्द दर्ज है। ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र में भी अंकन किया गया है कि दयालराम उर्फ दयाल नेहरा पुत्र मूलाराम उर्फ मूलचन्द जाति जाट निवासी नेहरां की ढाणी तन खण्डेला का स्थायी निवासी है परन्तु इसका राजस्व रिकॉर्ड मे गलत रूप सें नाम दयाल नेहरा पुत्र मूलचन्द दर्ज है एवं उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। वादी इस दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा दुरूस्त सें इन्कार होने पर वादकारण उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप सें जारी है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादवर्णित भूमियों खसरा नम्बर 1321 रकबा 1.67 है0, ख0नं0 1322 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 1323 रकबा 4.60 है0,

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

ख0नं0 1324 रकबा 0.80 है0 किता 4 कुल रकबा 7.36 हैक्टेयर वाके ग्राम अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी के खातेदारी हिस्सा 1/7 में वादी का नाम दयाल नेहरा पुत्र मूलचन्द का दुरूस्त कर इसके स्थान पर दयालराम उर्फ दयाल नेहरा पुत्र मूलाराम उर्फ मूलचन्द संशोधित कर इस आशय की उद्घोषणा की जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी तथा साक्षी के शपथ पत्र पेश किये गये जिन पर शपथ दिलाई गई। वादपत्र पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. वकील वादी की पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। साक्ष्यों पर गौर किया गया। चूंकि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेजों में एकरूप नहीं है। **सरपंच ग्राम पंचायत रोयल द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राजस्व रिकॉर्ड तथा अन्य पहचान दस्तावेजों के अवलोकन सें स्पष्ट है कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर दयाल नेहरा पुत्र मूलचन्द के स्थान पर दयालराम उर्फ दयाल नेहरा पुत्र मूलाराम उर्फ मूलचन्द दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा ग्राम अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 1321 रकबा 1.67 है0, ख0नं0 1322 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 1323 रकबा 4.60 है0, ख0नं0 1324 रकबा 0.80 है0 किता 4 कुल रकबा 7.36 हैक्टेयर में खातेदार दयाल नेहरा पुत्र लालचन्द के स्थान पर दयालराम उर्फ दयाल नेहरा पुत्र मूलाराम उर्फ मूलचन्द दर्ज करने की उद्घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है।** शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। **डिकी जारी हो।** तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

दयालराम उर्फ दयाल नेहरा बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक. 13.12.2019

मुकदमा नं0 128 / दावा सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री राजेन्द्र सिंह रणवां** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा **ग्राम अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 1321 रकबा 1.67 है0, ख0नं0 1322 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 1323 रकबा 4.60 है0, ख0नं0 1324 रकबा 0.80 है0 किता 4 कुल रकबा 7.36 हैक्टेयर में खातेदार दयाल नेहरा पुत्र लालचन्द के स्थान पर दयालराम उर्फ दयाल नेहरा पुत्र मूलाराम उर्फ मूलचन्द दर्ज करने की उद्घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है।** उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.12.2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मोहर

Scanned with CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा ...	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महनताना वकील पर ..		
महनताना वकील ...	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner